रग़ाइब की नमाज़ की बिद्अत

[Hindi – हिन्दी – هندي]

साइट इस्लाम प्रश्न और उत्तर

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

بدعة صلاة الرغائب

موقع الإسلام سؤال وجواب

عطاء الرحمن ضياء الله

रग़ाइब की नमाज़ की बिदअत

प्रश्नः

क्या रगाइब की नामज़ सुन्नत है जिसको पढ़ना मुसतहब है?

उत्तरः

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

रग़ाइब की नमाज़ रजब के महीने में अविष्कार कर ली गई बिदअतों में से है। यह रजब के महीने के पहले जुमा की रात को

मगरिब और इशा की नमाज़ के बीच होती है। उससे पहले जुमेरात का रोज़ा रखा जाता है, जो रजब के महीने की पहली जुमेरात होती है।

सर्व प्रथम रग़ाइब की नमाज़ की ईजाद बैतुल मक़्दिस में वर्ष 480 हिज्री के बाद हुई। तथा यह बात उल्लिखित नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने, या आपके सहाबा में से किसी ने, या सर्वश्रेष्ठ सदियों में किसी ने, या इमामों में से किसी ने इसे किया है। और अकेले यही बात यह प्रमाणित करने के लिए काफ़ी है कि यह एक निंदित बिदअत (नवाचार) है, कोई सराहनीय सुन्नत नहीं है।

विद्वानों ने इससे सावधान किया है और उल्लेख किया है कि यह एक बिदअत और पथ भ्रष्टता है।

नववी रहिमहुल्लाह ने ''अल–मजमूअ'' (3/548) में उल्लेख किया है कि :

''रग़ाइब के नाम से परिचित नमाज़ और वह बारह रकअत है जो रजब के महीने के पहले जुमा की रात को मगरिब और इशा की नमाज़ के बीच पढ़ी जाती है, तथा अर्ध शाबान की रात की नमाज़ जो सौ रकअत है, यह दोनों नमाज़ें घृणित और निंदित बिदअतें हैं। इन दोनों के ''कूतुल कुलूब'' और ''एहयाओ उलूमिददीन'' नामी किताबों में वर्णन से धोखा नहीं खाना चाहिए, न तो इन

दोनों के बारे में वर्णित हदीस से धोखा खाना चाहिए। क्योंकि वह सब असत्य और झूठी हैं। इसी तरह कुछ ऐसे इमामों से भी धोखा नहीं खाना चाहिए जिसके ऊपर इन दोनों का हुक्म संदिग्ध रह गया है और उसने उनके मुस्तहब होने के बारे में कुछ पन्ने लिखे हैं, क्योंकि उससे इस बारे में त्रुटि हो गई है। शैख इमाम अबू मुहम्मद अब्दुर्रहमान बिन इसमाईल अल–मक़दसी ने इन दोनों नवाचारों के खण्डन में एक अच्छी किताब लिखी है। चुनांचे आप रहिमहुल्लाह ने बहुत अच्छी और बढ़िया बात की है।''

तथा नववी ने ''शरह सहीह मुस्लिम'' में यह – भी – कहा है :

''अल्लाह तआला उसके गढ़नेवाले और उसका अविष्कार करनेवाले का सर्वनाश करे, क्योंकि यह उन बिदअतों – नवाचारों – में से एक निंदित बिदअत है जो कि पथ भ्रष्टता और अज्ञानता है और उसमें स्पष्ट बुराइयाँ और असत्य बातें पाई जाती हैं। महा विद्वानों (इमामों) के एक समूह ने उसके दोष और खराबी का वर्णन करने और उस नमाज़ के पढ़नेवाले और उसका अविष्कार करने वाले को पथ भ्रष्ट और गुमराह ठहराने के बारे में मूल्यवान पुस्तके लिखी हैं। उसके घृणित और असत्य होने तथा उसके करनेवाले को पथ भ्रष्ट करार देने के प्रमाण इससे अधिक हैं कि उन्हें शुमार किया जाए।'' समाप्त हुआ।

तथा इब्ने आबेदीन ने अपने ''हाशिया'' (2/26) में फरमाया :

''किताब ''अल–बहर'' में कहा गया है कि : यहाँ से इस बात का पता चलता है कि रग़ाइब की नामज़ के लिए, जो रजब के महीने में उसके पहले शुक्रवार को पढ़ी जाती है, एकत्र होना मकरूह (अनेच्छिक) है, और यह कि वह एक बिदअत (नवाचार) है . . .

तथा अल्लामा नूरूददीन अल–मक़दसी की इसके बारे में एक अच्छी पुस्तक है जिसका नाम उन्हों ने ''रदउर राग़िब अन सलातिर–रग़ाइब'' रखा है, जिसमें उन्होंने चारों मतों के पहले और बाद के विद्वानों की

अधिकांश बातों को समेट दिया है।'' संक्षेप के साथ समाप्त हुआ।

तथा इब्ने हजर अल–हैतमी रहिमहुल्लाह से प्रश्न किया गया : क्या जामअत के साथ रग़ाइब की नमाज़ पढ़ना जायज़ है या नहीं?

तो उन्हों ने उत्तर दिया : ''जहां तक रग़ाइब की नमाज़ का संबंध है तो वह अर्ध शाबान की रात को परिचित नमाज़ के समान घृणित और निंदित बिदअत है और उनके बारे में वर्णित हदीस गनगढ़ंत है, अतः उन्हे अकेले अथवा जमाअत के साथ पढ़ना मकरूह अनेच्छिक है।'' समाप्त हुआ।

''अल–फतावा अल–फिक़हियया अल–कुबरा'' (1/216).

तथा इब्नुल हाज अल–मालिकी ने ''अल–मदखल'' (1/294) में फरमाया :

''तथा उन बिदअतों में से जो उन्हों ने इस महीने (यानी रजब के महीने) में ईजाद किया है यह है कि : वे उसके पहले जुमा की रात को मस्जिदों, जाम मसिजदों में रग़ाइब की नमाज़ पढ़ते हैं, और शहर की कुछ जामा मस्जिदों और मस्जिदों में एकटठा होते हैं और यह बिदअत करते हैं, और जमाअतों की मस्जिदों में इमाम और जमाअत के साथ उसका इस तरह प्रदर्शन करते हैं कि गोया वह एक धर्म संगत नमाज़ है . . . जहाँ तक इमाम मालिक रहिमहुल्लाह के मत का संबंध है : तो रग़ाइब की नमाज़ को पढ़ना मकरूह

है, क्योंकि वह बीते हुए लोगों के कृत्यों में से नहीं है, और सारी भलाई उन लोगों का अनुसरण करने में है।'' संक्षेप के साथ समाप्त हुआ।

तथा शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिययाा रहिमहुल्लाह ने फरमाया :

''रही बात एक नियमित संख्या और निश्चित क़िराअत (पाठ) के साथ एक निर्धारित समय पर किसी नमाज़ को अविष्कार करके नियमित रूप से जमाअत के साथ पढ़ने की, जैसे कि ये नमाज़ें जिनके बारे में प्रश्न किया गया है : जैसे – रजब के महीने के पहले शुक्रवार को रग़ाइब की नमाज़, प्रथम रजब को हज़ारी नमाज़, अर्ध शाबान की नमाज़ तथा रजब की

सत्ताइसवीं रात की नमाज़ और इस तरह की अन्य नमाज़ें, तो यह सब इस्लाम के इमामों की सर्व सहमित के साथ अवैध व नाजायज़ है, जैसा कि विश्वसनीय विद्वानों ने स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया है। इस तरह की चीज़ एक अज्ञानी बिदअती ही कर सकता है, और इस तरह का दरवाज़ा खोलना इस्लाम के प्रावधानों को परिवर्तित करने और उन लोगों की हालत को अपनाने का कारण बनता है, जिन्हों ने दीन में ऐसी चीज़ों को धर्म संगत करार दिया जिनकी अल्लाह ने अनुमति नहीं दी है।'' समाप्त हुआ।

''अल–फतावा अल–कुबरा'' (2/239)

तथा शैखुल इस्लाम से उसके बारे में पूछा गया तो उन्हों ने कहा :

''इस नमाज़ को न अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पढ़ी है, न आपके सहाबा में से किसी ने, न ताबेईन ने और न ही मुसलमानों के इमामों ने पढ़ी है। तथा न तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसकी रूचि दिलाई है, न किसी सलफ (पूर्वज) ने और न इमामों ने, और न तो उन्हों ने इस रात की किसी विशिष्ट फज़ीलत का उल्लेख किया है। इस के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित हदीस उसके विशेषज्ञों की सर्व सहमति के साथ झूठी और मनगढ़ंत है ;

इसीलिए अनुसंधानकर्ता विद्वानों का कहना है कि : यह मकरूह (अनेच्छिक) है, मुस्तहब नहीं है।'' समाप्त हुआ।

''अल–फतावा अल–कुब्रा'' (2/262).

तथा ''अल–मौसूअतुल फिक़्हिय्या'' (22/262) में आया है कि :

''हनफिय्या और शाफईय्या ने इस बात को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि रजब के पहले शुक्रवार को, या अर्ध शाबान की रात में, एक विशिष्ट विधि के साथ, या रकअतों की एक विशिष्ट संख्या के साथ रग़ाइब की नमाज़, एक निंदित बिद्अत (नवाचार) है ...

तथा अबुल फरज इब्न अल–जौज़ी कहते हैं : ''रग़ाइब की नमाज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर गढ़ ली गई और झूठ बांधी गई है। वह कहते हैं : विद्वानों ने उसके बिद्अत होने और मकरूह होने के कई कारणों का उल्लेख किया है, उनमें से एक यह है कि : सहाबा, ताबेईन और उनके बाद मुजतहिद इमामों से यह दोनों नमाज़ें उद्धृत नहीं हैं, यदि वे दोनों धर्म संगत होतीं तो सलफ से नहीं छूटतीं, बल्कि वे दोनों नमाज़ें चार सौ वर्ष बाद अविष्कार हुई हैं।'' समाप्त हुआ।

इस्लाम प्रश्न और उत्तर